समर प्राइम

www.summerexpress.in

17 फरवरी 2026

समर एक्सप्रेस

3

10,023 नई मेडिकल सीटों को मंजूरी, प्रति सीट 1.5 करोड़ तय

समर न्यूज | नई दिल्ली

देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सरकारी संस्थानों में 10,023 नई मेडिकल सीटों को मंजूरी दी है। इनमें 5,000 स्नातकोत्तर सीटें और 5,023 एमबीबीएस सीटें शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र प्रायोजित योजना के फेज-III को स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों, स्वतंत्र पीजी संस्थानों और सरकारी अस्पतालों को सशक्त एवं उन्नत करना है। यह विस्तार 2025-26 से 2028-29 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। बढ़ती अवसंरचना और उपकरण लागत को देखते हुए प्रति सीट लागत सीमा बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दी गई है। योजना के तहत 5,000 नई पीजी सीटें विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए जोड़ी जाएंगी, जबकि 5,023 नई एमबीबीएस सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के जरिए सृजित होंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और गैप विश्लेषण प्रस्तुत करने को कहा गया है। प्राथमिकता ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के संस्थानों को दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे मेडिकल शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी और देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।

दो महीने में 2216 कब्जे, हटाओ

रोड राइट ऑफ वे में मंदिर, मकान सभी को अवैध माना जाएगाः राजस्थान हाई कोर्ट

समर न्यूज | जयपुर

राजस्थान हाई कोर्ट ने सड़क सुरक्षा को नागरिकों के जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए राज्यभर के नेशनल और स्टेट हाईवे पर मौजूद 2216 अतिक्रमण दो महीने में हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने यह आदेश हिम्मत सिंह गहलोत की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईवे के राइट ऑफ वे (ROW) क्षेत्र में मौजूद किसी भी प्रकार की संरचना चाहे वह मंदिर, मजार, मकान या दुकान हो कानूनन अवैध मानी जाएगी और उसे नियमित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि रोड लैंड बाउंड्री का उल्लंघन सीधे सड़क सुरक्षा को प्रभावित करता है और ऐसे अतिक्रमण हादसों को बढ़ावा देते हैं। पेश आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की

ROW में 103 धार्मिक संरचनाएं, 881 आवासीय निर्माण और 1,232 व्यावसायिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि धार्मिक स्थलों को भी कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हवाले से कहा कि सार्वजनिक मार्गों पर बने धार्मिक अतिक्रमण भी हटाए जा सकते हैं।

अदालत ने आदेश दिया कि सात दिनों के भीतर प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट हाईवे सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाए। इस टास्क फोर्स में जिला प्रशासन, पुलिस, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी और स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल होंगे। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया विधि अनुसार होगी, जिसमें पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर, GIS मैपिंग और वीडियोग्राफी शामिल होगी। राज्य सरकार को दो माह में जिला-वार विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया गया है, जिसमें हटाए गए और शेष अतिक्रमणों का विवरण और भविष्य की नियामक व्यवस्था शामिल होगी।

अदालत ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रशासनिक जिम्मेदारी के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन का अधिकार है। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी।

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना सरकार का कर्तव्य है। नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

कांग्रेस के चीफ व्हिप रफीक खान ने कहा कि प्रशासन को मेरिट और डिमैरिट के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, और जनता की आवाज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भाजपा के हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि कुछ अतिक्रमण प्राचीन हैं और उनकी पूजा पद्धति समय से चली आ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी है, लेकिन कुछ मामलों में पुराने और नए हाईवे के निर्माण के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई होगी।

2016 से 2025 में जजों के खिलाफ 8,360 शिकायतें

समर न्यूज | नई दिल्ली

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को लोकसभा में जानकारी दी कि पिछले दस वर्षों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यालय को मौजूदा जजों के खिलाफ 8,360 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह जानकारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सांसद मथेश्वरन वी.एस. के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई। सांसद ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, यौन दुर्व्यवहार या अन्य गंभीर अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों का ब्योरा मांगा था। सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि वर्ष 2016 से 2025 के बीच कुल 8,360 शिकायतें दर्ज हुईं। हालांकि, इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई के संबंध में मंत्रालय ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कार्रवाई का अलग से कोई रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं। सांसद ने यह भी पूछा था कि क्या केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मिली शिकायतों के रिकॉर्ड या डेटाबेस बनाए रखने की किसी प्रणाली की जानकारी है। इसके जवाब में मंत्रालय ने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 'इन-हाउस प्रोसीजर' के तहत जजों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

मंत्रालय ने बताया कि उच्च न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रिवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम या अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतें संबंधित प्राधिकारी, यानी सीजेआई या संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को अग्रेषित कर दी जाती हैं। हालांकि, सरकार ने इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया कि क्या उच्च न्यायपालिका के खिलाफ शिकायतों की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग, निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई नई गाइडलाइन या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। संसद में दिए गए इस जवाब के बाद न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर चर्चा तेज होने की संभावना है।

भारतीय सेना करेगी IMACC की मेजबानी

पूर्वी हिमालय में 18–23 फरवरी तक होगा आयोजन

समर न्यूज | नई दिल्ली

भारतीय सेना पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन करने जा रही है। यह अंतरराष्ट्रीय सैन्य प्रतियोगिता 18 से 23 फरवरी 2026 तक पूर्वी हिमालय की तलहटी में आयोजित होगी। एक सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन में सात मित्र देशों भूटान, ब्राजील, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब की टीमें भाग लेंगी। भारत की ओर से भारतीय सेना के साथ भारतीय वायु सेना, भारतीय तटरक्षक बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की टीमें भी हिस्सा लेंगी। यह प्रतियोगिता सैनिकों की शारीरिक और मानसिक क्षमता की कड़ी परीक्षा होगी। इसमें कठिन पहाड़ी रास्तों पर दौड़, बाधा दौड़ (ऑब्स्टेकल कोर्स), टीम आधारित कार्य, दबाव में निर्णय लेने की चुनौती, सहनशक्ति और नेतृत्व कौशल का परीक्षण शामिल होगा। सभी गतिविधियां वास्तविक सैन्य अभियानों जैसी परिस्थितियों में आयोजित की जाएंगी, ताकि प्रतिभागी सैनिकों की तैयारी और सामरिक दक्षता का आकलन किया जा सके। अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल विश्व की सेनाओं के बीच सहयोग, मित्रता और विश्वास बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम माने जाते हैं। ये प्रतियोगिताएं काउंसिल इंटरनेशनल डू स्पोर्ट मिलिटेयर (CISM) के 'खेल के माध्यम से मित्रता' के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। भारत पहले भी इस परंपरा का हिस्सा रहा है और वर्ष 2007 में एक अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल की मेजबानी कर चुका है। IMACC 2026 पारंपरिक स्टेडियम आधारित खेलों से अलग होगा, क्योंकि इसमें एडवेंचर, फील्ड स्किल और आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण पर विशेष जोर रहेगा। यह आयोजन सैनिकों के बीच भाईचारे और आपसी सहयोग को मजबूत करेगा, साथ ही भारत की पेशेवर सैन्य क्षमता और फिटनेस को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगा।

भारतीय सेना के लिए यह सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि रक्षा सहयोग और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने का अहम अवसर है। इस मेजबानी के जरिए भारत यह संदेश दे रहा है कि वह सैन्य दक्षता के साथ-साथ वैश्विक साझेदारी और सहयोग में भी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

एनजीटी ने पंजाब में 85 स्थानों पर खनन पर लगाई रोक

समर न्यूज | नई दिल्ली

एनजीटी ने पंजाब में चिन्हित 85 स्थानों पर खनन गतिविधियों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह आदेश नई दिल्ली स्थित प्रधान पीठ द्वारा गुरदासपुर जिले के गांव गाहलड़ी की पंचायत की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया। पंचायत ने आरोप लगाया कि व्यावसायिक उद्देश्य से की जा रही रेत-बजरी की खुदाई में पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी हो रही है और आवश्यक मंजूरियां नहीं ली गईं। याचिका में यह भी कहा गया कि गांव नदी के निचले हिस्से में स्थित है, इसलिए खनन से कृषि भूमि और बस्तियों को नुकसान हो सकता है। पिछले वर्ष आई भीषण बाढ़ के बाद ग्रामीणों ने अवैध खनन को तटबंधों की कमजोरी का कारण बताया था।

भारत में हर साल 50 हजार बच्चे कैंसर की चपेट में

इलाज के पांच साल बाद करीब 95 प्रतिशत बच्चे सामान्य जीवन जी रहे हैं

समर न्यूज | नई दिल्ली

कैंसर दुनियाभर में तेजी से फैलती गंभीर और जानलेवा बीमारी के रूप में उभर रहा है और अब इसका खतरा बच्चों में भी बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार खराब पर्यावरणीय परिस्थितियां, प्रदूषण, कीटनाशकों और रसायनों का संपर्क, साथ ही कुछ मामलों में आनुवांशिक कारण बच्चों में कैंसर के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। हर वर्ष 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रभावित परिवारों को समर्थन देना है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 15 वर्ष से कम उम्र के लगभग 50 हजार बच्चों में कैंसर के नए मामले सामने आते हैं, जो कुल कैंसर मामलों का 3 से 5 प्रतिशत है। विश्व स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठनकी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 0-19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 2.75 लाख बच्चों और किशोरों में कैंसर का पता चला, जबकि लगभग 1.05 लाख बच्चों की मौत हुई।

बच्चों में सबसे अधिक ल्यूकेमिया करीब 30-40 प्रतिशत, विशेषकर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, के मामले सामने आते हैं। इसके बाद ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर 20-25 प्रतिशत लिम्फोमा 10-15 प्रतिशत, हॉजकिन लिंफोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, बोन ट्यूमर और किडनी ट्यूमर के मामले देखे जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में कैंसर का संबंध अधिकतर जेनेटिक और इम्यून सिस्टम से होता है, न कि केवल जीवनशैली से। हालांकि प्रोसेस्ड फूड, मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी जोखिम बढ़ा सकते हैं।

इस बीच राहत की खबर भी सामने आई है। एम्स दिल्ली के पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग प्रमुख डॉ. रचना सेठ के नेतृत्व में किए गए अध्ययन, जो The Lancet में प्रकाशित हुआ, के अनुसार इलाज के पांच साल बाद करीब 95 प्रतिशत बच्चे सामान्य जीवन जी रहे हैं। 2016 से 2024 के बीच 20 केंद्रों पर किए गए अध्ययन में 5419 कैंसर सर्वाइवर बच्चों को शामिल किया गया, जिनमें पांच साल की कुल सर्वाइवल दर 94.5 प्रतिशत रही। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर जांच, बेहतर उपचार और जागरूकता से बच्चों में कैंसर से होने वाली मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

Good DAY

समर न्यूज | लुधियाना

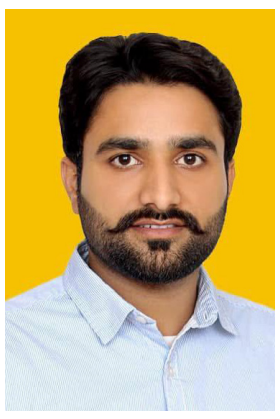

आपका आज का दिन शांति, ऊर्जा और सकारात्मक सोच से भरपूर हो यही दिल से कामना है। हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए सपने और आगे बढ़ने के अनगिनत अवसर लेकर आती है। बीते कल की चिंताओं को पीछे छोड़कर आज को पूरे आत्मविश्वास, धैर्य और मुस्कान के साथ अपनाइए। जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को महसूस करें, अपनों के साथ बिताए हर पल को संजोएं और अपने लक्ष्य की ओर रोज एक छोटा-सा लेकिन मजबूत कदम जरूर बढ़ाएं। आज अपने मन को शांत रखें, विचारों को सही दिशा दें और हर काम ईमानदारी, लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करें। ईश्वर करे आपके प्रयास सफल हों, स्वास्थ्य उत्तम बना रहे और चेहरे पर संतोष व प्रसन्नता की चमक बनी रहे। यह दिन आपके लिए नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई उपलब्धियां लेकर आए ऐसी मंगलकामनाएं।

पार्षद लखविन्दर चौधरी (वार्ड नंबर 5) आम आदमी पार्टी

जनरल कोचों में भी नियमित सफाई व्यवस्था

भारतीय रेलवे का 2026 सुधार अभियान, एआई आधारित मॉनिटरिंग और जवाबदेही

एजेंसी | नई दिल्ली

भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधाओं और माल ढुलाई में बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वर्ष 2026 को सुधारों का वर्ष घोषित करते हुए रेलवे ने 52 हफ्तों में 52 सुधार लागू करने का लक्ष्य रखा है।

रेलवे रिफॉर्म प्लान के तहत अब एसी और स्लीपर डिब्बों की तरह जनरल कोचों में भी सफाई लगातार की जाएगी। पहले मुख्य रूप से आरक्षित डिब्बों की सफाई होती थी, जबकि जनरल डिब्बे उपेक्षित रहते थे। पहले चरण में लंबी दूरी की 80 ट्रेनों को चुना गया है। अगले छह माह में यह व्यवस्था सभी ट्रेनों में लागू कर दी जाएगी। सफाई में टॉयलेट, वाश-बेसिन, डस्टबिन और कोच के अंदर नियमित सफाई शामिल होगी। स्टेशन पर रुकते समय सफाई कर्मी आरक्षित डिब्बों के अलावा जनरल कोचों में भी काम करेंगे। नई व्यवस्था में तकनीक का सहारा लिया जाएगा। सफाई के बाद कोच की तस्वीरें कंट्रोल रूम भेजी जाएंगी, जहां एआई के माध्यम से गुणवत्ता जांच की जाएगी। मानकों पर खरा न उतरने पर दंड का प्रावधान भी होगा। सभी सफाई, लिनन वितरण और संग्रह जैसी सेवाओं को एकीकृत एजेंसी को सौंपा जाएगा ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो। यह कदम खासतौर पर जनरल क्लास के यात्रियों के लिए राहतभरा माना जा रहा है।

माल ढुलाई में बड़ा बदलाव

रेलवे अगले पांच वर्षों में 500 से अधिक गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने का लक्ष्य रख रहा है। वर्ष 2022 में शुरू हुई GCT नीति के तहत अब तक 124 मल्टी-मॉडल टर्मिनल तैयार किए जा चुके हैं, जिनसे सालाना करीब 20 हजार करोड़ रुपये के राजस्व की संभावना है। नई नीति के तहत इन टर्मिनलों को कार्गो के साथ प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे टर्मिनल परिसर में सीमेंट क्लिंकर की ग्राइंडिंग, खाद्यान्न प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैसी गतिविधियां हो सकेंगी। रेल मार्ग से माल ढुलाई बढ़ेगी और अलग-अलग जगह प्रोसेसिंग की जरूरत घटेगी। अनुबंध अवधि को 35 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष किया गया है ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिले। इन सुधारों से रेलवे को अगले कुछ वर्षों में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।

वैलेंटाइन डे पर इंस्टामार्ट पर गिफ्टिंग की आई बाढ़

प्रीमियम ऑर्डर 10 गुणा बढ़े

समर न्यूज | नई दिल्ली

क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टमार्ट ने इस वर्ष वैलेंटाइन डे के मौके पर मांग में तेज उछाल दर्ज किया। कंपनी के अनुसार, 14 फरवरी से पहले के सप्ताह में सर्च और प्रीमियम गिफ्टिंग ऑर्डर 10 गुना तक बढ़ गए। कंपनी ने बताया कि वैलेंटाइन डे पर किए गए लगभग आधे ऑर्डर "ऑर्डर्स फॉर अदर्स" के रूप में थे, यानी हर दूसरा ऑर्डर सीधे किसी और को डिलीवर किया गया। प्लेटफॉर्म पर यह दिन साल के सबसे बड़े गिफ्टिंग मौकों में से एक साबित हुआ।

14 फरवरी को सुबह 11:59 बजे ऑर्डरिंग अपने चरम पर पहुंची, जब प्रति मिनट 1,042 ऑर्डर दर्ज किए गए। हार्ट-शेप चॉकलेट्स की सर्च में हफ्ते-दर-हफ्ते 500 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सिल्क, डार्क, नट्टी और फ्रूटी वैरिएंट्स को ग्राहकों ने बड़ी मात्रा में कार्ट में जोड़ा। कोलकाता में एक ग्राहक ने 25,000 रुपये से अधिक का ऑर्डर दिया, जिसमें प्रीमियम डार्क चॉकलेट्स, मिल्क वैरिएंट्स और क्यूरेटेड गिफ्ट पैक्स शामिल थे। हैदराबाद और दिल्ली में भी बड़े मूल्य के ऑर्डर दर्ज किए गए, जो क्विक कॉमर्स पर प्रीमियम और बल्क गिफ्टिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

रोज की सर्च पिछले सप्ताह की तुलना में 10 गुना बढ़ गई। टेडी डे पर सॉफ्ट टॉय ऑर्डर में साल-दर-साल 568 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। प्लश टॉय अक्सर चॉकलेट्स और केक के साथ बंडल किए गए। ब्यूटी और पर्सनल केयर में भी खर्च कट्टक में एक ग्राहक ने मेकअप पर 15,093 रुपये खर्च किए, जबकि सूरत में एक ग्राहक ने वैलेंटाइन डे की रात 12:01 बजे बाथ, बॉडी और हेयर प्रोडक्ट्स पर 10,845 रुपये का ऑर्डर दिया। कंपनी के अनुसार, यह पारंपरिक गिफ्टिंग के साथ-साथ सेल्फ-केयर प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

सेक्शुअल वेलनेस कैटेगरी में तीन गुना वृद्धि

सेक्शुअल वेलनेस उत्पादों की बिक्री में साल-दर-साल तीन गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई, जो बदलती उपभोक्ता पसंद और वैलेंटाइन सेलिब्रेशन के व्यापक स्वरूप को दिखाती है। शहरों में बेंगलुरु गिफ्टिंग वॉल्यूम में सबसे आगे रहा, इसके बाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई का स्थान रहा। कंपनी के अनुसार, वैलेंटाइन वीक के दौरान मांग में आए उछाल का बड़ा हिस्सा मेट्रो शहरों से आया।

पेज 3 एंकर स्टोरी

कोर्ट के चक्कर खत्म, डिजिटल लोक अदालत से चालान अब ऑनलाइन निपटेंगे

ट्रैफिक चालान का घर से करें निपटारा, डिजिटल पोर्टल शुरू

एजेंसी | नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक चालान से जुड़ी परेशानियों का अंत होने वाला है। लंबी कतारें, बार-बार कोर्ट के चक्कर और तारीख पर तारीख की झंझट से राहत देने के लिए सरकार ने डिजिटल लोक अदालत पोर्टल शुरू कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब नागरिक घर बैठे ही अपने चालान देख सकते हैं, सुनवाई की तारीख चुन सकते हैं और मौके पर ही निपटारा करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, चालान का भुगतान करने के साथ ही रियल-टाइम अपडेट भी मोबाइल पर उपलब्ध होगा, जिससे लोगों को अपने चालान की स्थिति जानने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

पोर्टल पर लॉगिन करना बेहद आसान है। नागरिक अपने वाहन नंबर और ओटीपी के जरिए लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद अपने सभी लंबित चालान देख सकते हैं। डिजिटल लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब लोग अपनी सुविधा के अनुसार सुनवाई की तारीख चुन सकते हैं। निर्धारित समय पर वर्चुअल तरीके से मामला सुना जाएगा और कोर्ट में प्राथमिकता के आधार पर ही सुनवाई की जाएगी। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद उन मामलों का निपटारा तुरंत हो सकेगा, जो पहले महीनों तक लंबित रहते थे। इसे न्याय प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

नई व्यवस्था में जुर्माना जमा करते ही उसकी पुष्टि तुरंत हो जाएगी। पहले भुगतान करने के बाद रिकॉर्ड अपडेट होने में समय लगता था, लेकिन अब रियल-टाइम अपडेट सिस्टम लागू किया गया है। चालान का भुगतान करते ही मोबाइल पर भुगतान की पुष्टि का मैसेज प्राप्त होगा, जिससे चालान का स्टेटस तुरंत क्लियर हो जाएगा और भविष्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी।

इस पहल का सबसे बड़ा लाभ आम नागरिकों को होगा। कामकाजी लोगों को कोर्ट जाने के लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय, पैसा और ऊर्जा की बचत होगी। इसके अलावा, डिजिटल लोक अदालत से न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनेगी। इस कदम से दिल्ली में ट्रैफिक चालान से जुड़ी पुरानी समस्याओं को खत्म करने और नागरिकों को राहत देने में मदद मिलेगी, जिससे लोगों का समय और संसाधनों की बचत होगी और न्याय प्रणाली के प्रति भरोसा बढ़ेगा।

रेणुका चौधरी को विशेष अधिकार उल्लंघन का नोटिस

समर न्यूज | नई दिल्ली

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी को संसद परिसर में अपनी कार में आवारा कुत्ता लाने और सदस्यों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में विशेष अधिकार उल्लंघन का नोटिस जारी किया गया है। राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति ने उन्हें 23 फरवरी तक अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने को कहा है। घटना 1 दिसंबर को हुई थी, जब चौधरी संसद सत्र के दौरान अपनी कार में कुत्ता लेकर आई थीं। विरोध करने वाले सदस्यों पर चौधरी ने कहा था, "अंदर बैठे काटते हैं, कुत्ते नहीं।" भाजपा सांसद बृज लाल और इंदू बाला गोस्वामी ने चौधरी के खिलाफ विशेष अधिकार उल्लंघन की शिकायत की थी।